

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /16/PBR/निगरानी

दिनांक - 29.2.2016 PBR-16

गोविन्द सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी
मुरार, ग्वालियर म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय
अधिकारी, मुरार, ग्वालियर म0प्र0

श्री. राजेश शर्मा, म0प्र0
द्वारा आज दि. 30.8.16
प्रस्तुत
केलक ऑफिस कोर्ट-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश

अनुविभागीय अधिकारी मुरार, ग्वालियर पारित प्रकरण क्रमांक:

28/15-16/172 (4,5) आदेश दिनांक 5-8-2016

श्रीमान्

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यहकि, अनुविभागीय अधिकारी मुरार, ग्वालियर द्वारा ग्राम पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर निगरानीकर्ता के भूमि सर्वे क्रमांक 2027मिन2, 2028मिन1, 2029मिन 2/4 पर अवैध रूप से व्यवसायिक व्यपवर्तन कर मैरिज गार्डन संचालन किया जाना बताते हुये अर्थदण्ड आरोपित किये जाने सम्बन्ध कारण बताओ सूचना पत्र प्रदान किया गया, निगरानीकर्ता द्वारा सूचना पत्र को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुये अपना जबाव प्रस्तुत किया गया और दिनांक 05-08-2016 को प्रकरण की प्रचलनशीलता व क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपत्ति प्रस्तुत की गई, किन्तु अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण किये बिना प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत कर दिया गया जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी श्रीमान् के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

आधार निगरानी

- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-8-2016 विधि विधान व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तन योग्य है ।

(Handwritten signature)


अजय शर्मा
28
30/8/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2922-पीबीआर/2016

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-9-2016	<p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की ओर से प्रकरण प्रचलनशीलता व क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिनके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेशिका दिनांक 23-8-2016 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश में किया जायेगा, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>